बीस रुपये TWENTY RUPEES

172

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निग - 2970 - I - 16

सुमित्रा बेवा मुलु अहिरवार
निवासी गोटेट खास तह० लिधौरा जिला टीकमगढ़
... आवेदिका

॥विरुद्ध॥

म.प्र. शासन ...अनावेदक

01 AUG 2016 30/8/16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र०क्र० 14/स्व०निग०/ वर्ष 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 02.06.2016 से दुखित होकर

81
27/08/16

मान्यवर महोदय,

आवेदिका की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना है :-

1- यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम गोटेट खास तह० लिधौरा में स्थित भूमि ख.नं. 806/3 रकवा 1.000 हे० भूमि का पट्टा प्राप्त करने के लिए विधिवत् रूप से आवेदन पत्र नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमे प्रकरण नायब तहसीलदार द्वारा अपने न्यायालय में दर्ज कर विधिवत रूप से इस्तहार जारी किया, निर्धारित समयावधि मे कोई भी आपत्ति ना आने पर प्रकरण मे पटवारी रिपोर्ट ली गई एवं कब्जे के सम्बंध मे साक्ष्य कीगई, तत्पश्चात् पात्रता इत्यादि की जांच करने के पश्चात् उक्त भूमि का पट्टा आवेदिका के नाम से जारी किया गया, उक्त पट्टे के विरुद्ध कोई भी अपील अथवा निगरानी ना होने के कारण उक्त आदेश अंतिम हो गया था, परंतु एक शिकायती आवेदनपत्र के आधार पर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा अपने न्यायालय मे प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थिनी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही दिनांक 02.06.2016 को आदेश पारित करते हुए उक्त भूमि का पट्टा निरस्त कर उक्त भूमि म.प्र. शासन की दर्ज करने का

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2970-एक/2016 जिला टीकमगढ़ सुमित्रा विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 14/स्वमेव निगरानी/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 02-06-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 01-08-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 08/01/19
सदस्य